(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1054–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 148/2011–12/अपील

.....

1–श्रीमती सुगनबाई विधवा रामप्रसाद
2–संजय पुत्र रामप्रसाद
3–राजाराम पुत्र रामप्रसाद
निवासी ग्राम बालोदा तहसील व जिला देवास

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–वी0पी0इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0द्वारा कम्पनी
सचिव प्रकाश चकवती पिता बंसत चकवती
निवासी लक्ष्मण नगर देवास
2–रामकलाबाई पिता नगजीराम
निवासी ग्राम बालोदा तहसील व जिला देवास

.....अनावेदकगण

श्री रवीन्द्र त्रिवेदी, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 12/7/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार देवास के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रसुडिया नजदीक पटवारी हल्का नम्ब 32 स्थित भूमि सर्वे कमांक 07 रकबा 1.650 हेक्टेयर उसके द्वारा अनावेदक कमांक 2 रामकलाबाई से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । अतः उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की

गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका विगत 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है अतः उनके द्वारा स्वत्व घोषणा बावत् व्यवहार वाद कमांक 11–ए/2011 प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है । अतः अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण नहीं किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–8–11 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–12–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–3–12 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 21–4–2017 की पेशी पर आवेदकगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 5/अ–6/2010–11 एवं नामान्तरण प्रकरण कमांक 24/अ–6/10–11 प्रचलित थे और तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को प्रकरण में गवाही ली जा रही थी और बिना गवाही स्वीकार किये अनावेदक कमांक 1 नामान्तरण करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार वाद विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से अनेक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे जिन पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है इसलिये तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने मात्र से राजस्व न्यायालयों में कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया जा चुका है, अतः यह निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय के वाद कमांक 2–ए/2011 को आधार बनाकर आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो कि दूसरी भूमि से संबंधित है । प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित व्यवहार वाद कमांक 1–ए/2011 है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा नहीं पाया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–3–2012 स्थित रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर